न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 53/2017

बउनवान:–

1. चैतन प्रकाशपिसरान मथुरालाल जाति नाई निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल
2. मोहनी बाई जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. श्रवणलाल } पिसरान मथुरालाल जाति नाई निवासी बोहत तह0 मांगरोल
02. प्रेमचन्द }
03. प्रकाश कुमार } पिसरान हेमराज जाति नाई निवासी बोहत तह0 मांगरोल
04. प्रदीप कुमार }
05. कौशल कुमार }
06. कविता बाई }
07. सत्यनारायण पुत्र जमनालाल जाति नाई निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
08. गायत्री बाई पुत्री जमनालाल पत्नि बद्रीलाल जाति नाई निवासी बडगांव तह0 अंता
09. फूंला बाई पुत्री जमनालाल पत्नि शिवशंकर जाति नाई निवासी डाबर तह0 दीगोद जिला कोटा
10. मंजू कुमारी पुत्री जमनालाल पत्नि सुरेश कुमार जाति नाई निवासी छीनोद तह0 किशनगंज
11. संतोष बाई पुत्री जमना लाल पत्नि हेमराज जाति नाई निवासी केलवाडा
12. हेमराज पुत्री हीरालाल जाति खटीक निवासी बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां
13. श्रीमति विद्याबाई पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड निवासी बोहत तहसील मांगरोल
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर0टी0एक्ट0 वास्ते बंटवारा

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांक: 30.06.2017 निर्णय दिनांक : 29.07.2020

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 19.02.2019 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 11 एक ही परिवार के सदस्य है।

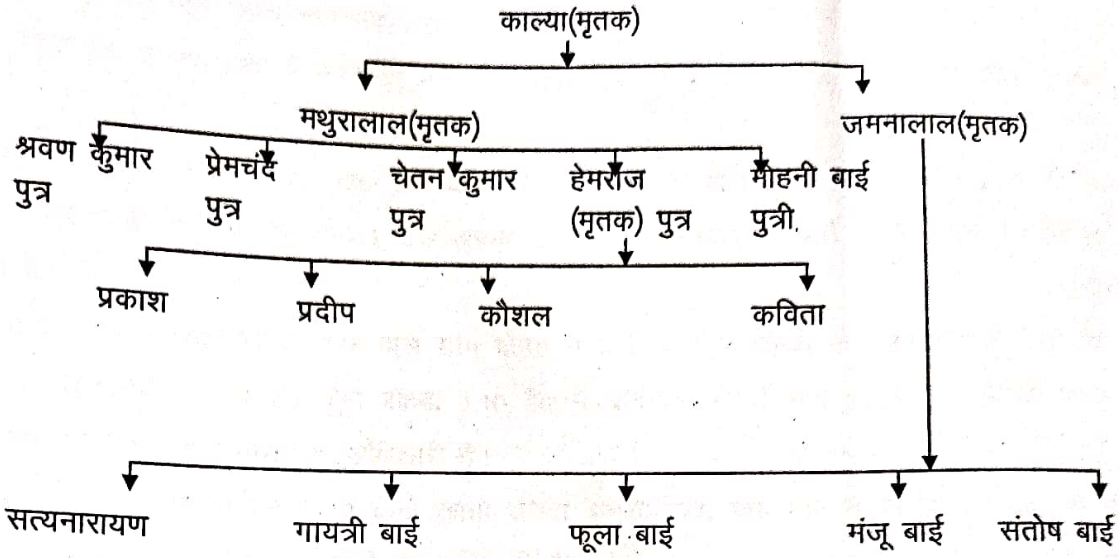

हाल खाता संख्या 776 पुराना खाता संख्या 717 ग्राम बोहत में खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 आराजी स्थित है इसी प्रकार हाल खाता संख्या 777 पुराना खाता संख्या 717 के खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.10 है0 आराजी स्थित है। कुल आराजी में उपरोक्त सजरे अनुसार वादी कम 1 व 2, 1/2 हिस्से में 2/5 हिस्सा नियत है। अर्थात वादीगण का पृथक–पृथक 1/2 हिस्से में 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी कम 12 व 13 सहखातेदार है। जिन्होने प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ता 6 के पिता हेमराज से हिस्से में आराजी कय की है। वादी कम 1 व 2 अपने हिस्से को शामलाती खाते से पृथक कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 ता 13 के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित करें कि खाता संख्या नया 777 रकबा 1.10 है0 व खाता संख्या 776 रकबा 2.69 है0 ग्राम बोहत में से वादी कम 1 व 2 का 1/2 हिस्से में से 1/5–1/5 हिस्सा पृथक कराके वादीगण के खाते में दर्ज की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 12 के अलावा सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकत तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी कम 12 हेमराज ने जवाब दावा व करके अपना हिस्सा 5/18 संयुक्त खाते से पृथक करने की प्रार्थना की कि प्रतिवादी कम 12 राजस्व रेकार्ड हाल जमाबंदी में खाता संख्या 776 व खाता संख्या 777 में 5/18–5/18 का पृथक–पृथक खातेदार है। जो प्रतिवादी कम 12 ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र सन 1997 व 2001 में प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 लगायत 6 के पिता से कय की है। जो उनके 1/2 के 1/5 हिस्सो से ही कय

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

की गयी है। प्रतिवादी कम 12 को वादीगण के हिस्सा विभाजन से कोई ऐतराज नही है किन्तु धारा 53 काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी कम 12 का 5/18–5/18 दोनो वादग्रस्त खातो में कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर दिया जावे तथा नक्शा कायम किया जावें।

वाद पत्र, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी कम 12 के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नं0 1:– आया खाता संख्या 776 ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 मे मुताबिक सजरा वादीगण, वादीगण कम 1 व 2 अपना हिस्सा 1/5 शामलाती खाते में से अलग करवाने के अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 2:– आया खाता संख्या 777 हाल ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.10 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/5 है जिसको पृथक कराकर पृथक से खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 3:– आया प्रतिवादी कम 12 दोनो खाता संख्या कमशः 777, 776 ग्राम बोहत में दर्ज आराजी में अपना हिस्सा 5/18–5/18 पृथक कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादी

दादरसीः–

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 अपना साक्ष्य शपथ पत्र चेतन प्रकाश पीडब्ल्यू 2 मोहनी बाई का पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2036–2039 ग्राम बोहत खातेदार मथुरा, जमना पुत्र काल्या जाति नाई प्रदर्श 2– मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 ग्राम बोहत प्रदर्श 3– खाता संख्या 777 ग्राम बोहत जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श 4– खाता संख्या 776 ग्राम बोहत जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श 5– जमाबंदी सम्वत 2059–62 ग्राम बोहत।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में अंकन किया है। उनका बहस में कथन है कि मथुरालाल व जमनालाल दो भाई थे अर्थात दोनो अपने पिता की आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी थे। और उन्होने अपना 1/2–1/2 हिस्सा प्राप्त किया। मथुरालाल के 1/2 हिस्से में मथुरालाल के पांच वारिस है कमशः श्रवण कुमार, प्रेम चन्द, चेतन प्रकाश, हेमराज पुत्र मोहनी बाई पुत्री है। अर्थात प्रत्येंक वारिस का 1/5 हिस्सा है। वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते का 1/2 हिस्से का 2/5 हिस्सा बनता है जिसको संयुक्त खाते से अलग कराकर पृथक से वादीगण के खाते में दर्ज किया जावें।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 12 हेमराज का 5/18 हिस्सा भी पृथक करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

न्यायालय तनकी अनुसार अधिवक्ताओ की बहस सुनकर निम्न प्रकार से तनकीयों का निर्णय किया जा रहा है–

तनकी नं0 1 व 2 :– इस दोनो तनकीयों को साबिक करने का भार वादी पर था दौनो तनकीया एक साथ मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि जमाबंदी प्रदर्श 1 ग्राम बोहत की आराजी में खातेदार मथुरालाल व जमनालाल पुत्र काल्या दर्ज है। अर्थात विरासत में दोनो भाईयों के हिस्से में 1/2–1/2 आराजी आयी। खाता संख्या 776 में खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 आराजी ग्राम बोहत में दर्ज हो रही है। इसमें 1/2 हिस्से में मथुरालाल के वारिसान कमशः वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ता 6 मृतक हेमराज के वारिसान है। अर्थात प्रत्येक सह खातेदार का 1/2 हिस्से में अपना 1/5 हिस्सा है। इसी प्रकार 1/2 हिस्से में जमनालाल के वारिसान प्रतिवादी कम 7 ता 11 है। दूसरे खाता संख्या 777 में दर्ज आराजी खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.10 है0 आराजी भी 1/2–1/2 हिस्से में प्राप्त होगी। प्रदर्श 1, 2, 3 व 4 से भली–भांती स्पष्ट है कि आराजी वादीगण को विरासत से प्राप्त हुयी है। और वादीगण का दोनो खातो में कमशः 777 व 776 ग्राम बोहत में 1/2 हिस्से में 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। न्यायालय के मत में खाता संख्या 777 व 776 ग्राम बोहत प्रदर्श 3 व 4 में वादीगण के हिस्से 1/2 में वादीगण का 2/5 हिस्सा निहित हैं जिसको वादीगण पृथक कराने के अधिकारी है अतः उपरोक्त विवेचन से तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 12 पर था लेकिन प्रतिवादी कम 12 ने अपना जवाबदावा व काउन्टर क्लेम में ही पेश किया है लेकिन प्रदर्श 5 जमाबंदी में इं0 नं0 383 का नोट अंकित है जिससे सहखातेदारान श्रवणलाल, प्रेमचन्द्र व हेमराज ने अपने हिस्से में से 8/90 हिस्सा प्रतिवादी कम 12 का बेचना बताया है और केता प्रतिवादी कम 12 का जमाबंदी में सहखातेदार के रूप में खाता संख्या 776 व 777 में 5/18 हिस्से में नाम दर्ज हो रहा है। तथा गवाह पीडब्ल्यू 1 ने भी अपने बयानो में कहा है कि हेमराज का हिस्सा 5/18 पृथक करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है पीडब्ल्यू 1 के बयान व राजस्व रेकार्ड के आधार पर यह तनकी नं0 3 प्रतिवादी कम 12 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अनुतोषः– उपरोक्त तनकी नं0 1 व 2 के विवेचन अनुसार खाता संख्या 776 ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 व खाता संख्या 777 ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 व खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 रकबा 1.10 है0 में वादीगण को दौनो खातो में 1/2 हिस्से का 2/5 खातेदार घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

इसी अनुसार प्रतिवादी कम 12 हेमराज पुत्र हीरालाल खटीक निवासी बोहत को 5/18 का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के पक्ष में 1/2 हिस्से का 2/5 हिस्से की प्राथमिक डिकी जारी की गई थी तथा प्रतिवादी कम 12 के पक्ष में 5/18 हिस्से की प्राथमिक डिकी जारी की गई थी। निर्णय की पालना में तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/67 दिनांक 18.02.2020 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम बोहत की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 799 पर खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 व खाता संख्या 798 पर खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 दर्ज रेकार्ड है। जिसमें नाम खातेदार चेतन प्रकाश, प्रेमचन्द, श्रवणलाल, हेमराज, पुत्र मथुरालाल मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल सत्यनारायण पुत्र जमनालाल जातिगण नाई सा0 देह जितेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण मोनिका, सोनू पुत्रियां हेमराज विमला बाई पत्नि स्व0 हेमराज, जाति गण खटीक सा0 देह कविता पुत्री हेमराज, कौशल, प्रदीप, रवीन्द्र पुत्र हेमराज, राजू बाई पत्नि स्व0 हेमराज जातिगण नई सा0 देह, विद्याबाई पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड, सा0देह के नाम अलग–अलग शामलाती खाते ग्राम बोहत में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी में बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:–

वादीगणनामखातेदार मय वलियत व सकूनत से हित	**ख0 नं0**	**रकबा किस्म**	**लगान**
1. चेतन प्रकाश पुत्र मथुरालाल हि0 53/68मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल हि0 15/68 जाति नाई सा0 देह **(खाता संख्या 851)**	2261 पूर्वी	0.68 है0 नहरी I	21.76
2. हरीश, विनोद पि0 नाथू जाति खाती सा0 देह हि0	2660	0.02 है0 गै0मु0 चाह	–
बरा. रहन केनरा बैंक शाखा बारां हि0 हरीश का रहन एक्सिस बैंक शाखा बारां हि0 विनोद का **(खाता संख्या 851)**	2661 पश्चिमी	0.66 है0 नहरी I	21.12
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज, मुकेश कुमार मोनिका,	2621	1.01 है0 नहरी I	32.32
सोनू पुत्रियां हेमराज हि0 47/110 हि0 बरा जाति खटीक सा0 देह श्रणवलाल, हेमराज पुत्र मथुरालाल हि0 3/55 प्रेमचन्द पुत्र मथुरालाल हि0 1/55 सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि0 1/2 जाति नाई सा0 देह रहन बीआरकेजीबी शाखा बोहत हि0 सत्यनारायण का **(खाता संख्या 799)**	2787	0.09 है0 नहरी I	2.88
4. कौशल, प्रदीप, रविन्द्र, पुत्र हेमराज कविता पुत्री हेमराज राजूबाई पत्नि स्व0 हेमराज हि0 8/269 हि0 बरा. जितेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्र हेमराज	2815	2.69 है0 नहरी I	86.08

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

मोनिका, सोनू पुत्रियां हेमराज विमला बाई पत्नि स्व0 हेमराज हि0 58/269 हि0 बरा. सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि0 56/269 प्रेमचन्द पुत्र मथुरालाल हि0 15/269 जातिगण नाई सा0 देह विद्याबाई पत्नि बजरंगलाल हि0 112/269 जाति धाकड सा0 देह रहन बीआरकेजीबी शाखा बोहत हि0 सत्यनारायण का **(खाता संख्या 798)**

अतः तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत बंटवारा अनुसार ग्राम बोहत की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 799 पर खसरा नं0 2621 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 2787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 व खाता संख्या 798 पर खसरा नं0 2815 रकबा 2.69 है0 को बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को बंटवारा प्रस्ताव अनुसार आराजी को पृथक–पृथक खाते दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। फाईनल डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2020 को सरेईजलास मजमें आम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner